मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1138

29.07.2024 को उत्तर के लिए

अरावली पर्वतमाला का संरक्षण

1138. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली-एनसीआर की जीवन रेखा के रूप में विख्यात अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो संबंधित राज्यों द्वारा एनजीटी को अग्रेषित अनुपालन प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री:
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): मंत्रालय ने हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के हिस्से में अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास के 5 किमी बफर क्षेत्र को हरा-भरा करने के लिए देशी प्रजातियों के वृक्षों से वनीकरण, जल संरक्षण उपाय, प्राकृतिक संसाधन सुरक्षा, एकल-उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध आदि जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से अरावली परिदृश्य को बहाल करने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की घोषणा की है। इस पहल का समग्र उद्देश्य अरावली पर्वतमाला के पारिस्थितिक स्वास्थ्य में सुधार करना और थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर विस्तार को रोकना एवं हरित अवरोध पैदा करके भू-क्षरण को कम करना है जो मिट्टी के कटाव, मरुस्थलीकरण और धूल भरी आंधियों को रोकेगा। इस पहल से कार्बन पृथक्करण होगा, जलवायु परिवर्तन के उपशमन में मदद मिलेगी, संधारणीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और वनीकरण, कृषि-वानिकी और जल संरक्षण संबंधी कार्यकलापों में स्थानीय समुदायों को शामिल करके आजीविका के अवसरों में वृद्धि होगी जो अंततः आय, रोजगार, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक लाभ उत्पन्न करेगी। राज्य वन विभाग, नागरिक समाज समूहों, स्थानीय समुदायों और संबंधित निजी क्षेत्र के परामर्श से अरावली क्षेत्र में बहाली संबंधी कार्यकलापों को शुरू करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है। इस पहल को राज्य सरकार के नियमित वनीकरण

कार्यक्रम और वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि अपवर्तन के प्रति प्रतिपूरक वनरोपण द्वारा पूरा किया जाता है।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अरावली से संबंधित मामलों को उठाते हुए अरावली की सुरक्षा और संरक्षण के संबंध में विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए हैं। ऐसे निर्देश और दिशानिर्देश संबंधित सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, संस्थानों और संगठनों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं।

*****